



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65115

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 2190 वर्ष 2026

नजीम ...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: रामाशंकर यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रामाशंकर यादव और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री यागवल्क्य पांडे की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह आवेदन अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है मुकदमा अपराध संख्या 271/2025, धारा 3/5/8 गौहत्या निवारण अधिनियम और धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और धारा 325 बी.एन.एस. और धारा 4/5 शस्त्र अधिनियम, पुलिस थाना कोरांव, जिला प्रयागराज के अंतर्गत, इस प्रार्थना के साथ कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और सह-आरोपी अकरम उर्फ कालिया को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या 360/2026 में पारित आदेश के माध्यम से अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



का नाम जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए चार सह-आरोपियों के इकबालिया बयान में सामने आया है और उनके कब्जे से 33 गायें और कुछ वध उपकरण बरामद किए गए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसका विवरण जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे में दिया गया है। यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और वह जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकतानुसार उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

5. आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और सह-आरोपी अकरम उर्फ कालिया को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या 360/2026 में पारित आदेश के माध्यम से अंतरिम अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। आवेदक का नाम गिरफ्तार किए गए चार सह-आरोपियों के इकबालिया बयान में जांच के दौरान सामने आया है और उनके कब्जे से 33 गायें और कुछ वध उपकरण बरामद किए गए हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को अभियाग की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित कानूनी सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. उपर्युक्त मामले में आवेदक नजीम की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बहिष्कार और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के साथ:

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

28 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"